

वकील वादी श्री इंगर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र धारा
152 CPC का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
निर्णय शिर्षक में वादी नं. 3 दुर्गासिंह के पिता
का नाम गजेन्द्रसिंह लिख दिया गया है जबकी
वारसाधिक नाम दुकमसिंह है तथा वादिया लॉ
10 के स्नापर कवर के लिस्टे व्याखत निर्णय व
डिक्री में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जिनका
देहान्त हो चुका है जिनके वापस पुकाद ओकरासिंह
पुत्र हीरसिंह, सोभाज कंवर पुत्री हीरसिंह,
बिक्रमसिंह पुत्र रबीमसिंह का नाम डी. रेकॉर्ड
है। जिनका निर्णय शिर्षक में उल्लेख नहीं
किया गया है जिसे सुधार जाकर संशोधित
डिक्री बनिर्णय किया जावे। पत्रावली वास्त
निर्णय हेतु आपका दि. 5.11.2019 को पेश है।

सपसण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

5/11/2019

पत्रावली पेश हुई
वकील वादी उज्ज्वल
लक्ष्मीलाल रायपुर के पत्रावली 2019/2417 दि. 23/10/2019 के द्वारा पूर्व में जारी निर्णय व डिक्री एन राजाव रेकॉर्ड में

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

बनाम

किस्म मुकदमा

नं

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय-इनिशियल्य जज
	<p>मिलान नहीं होने से डिक्ली की पालना किता जाना सम्भव नहीं होना बताया है हमने तहसीलदार रायपुर के प्राप्त फाइल/ वकील वादी के बयान, राजस्व रेकॉर्ड, एग्जम्प्ले पत्रावली का ऊपलोकन किता जिसे वादी का प्रार्थना पत्र (वीका) किता जाना संशोधित सम्भवते है अतः वादी का प्रार्थना पत्र (वीका) किता जाना संशोधित आदेश एवम् संशोधित डिक्ली पुथक से लिखा जाकर शांतिपूर्वक पालना प्रति तहसीलदार रायपुर को भेजी जावे पत्रावली के माध्यम से शूमा होकर रजि नम्बर से काम हो।</p>

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सेवा में
 कोटा
 राजकपुर 2
 प्रथम कवर
 नर-प्रति
 वलवर्ष
 मरी
 3236
 4.12.2019

